पर्यावरण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

तारांकित प्रष्न संख्या : 30
दिनांक : 03 दिसंबर 2019
प्रष्नकर्ता का नाम : श्री गिरीष सोनी
क्या माननीय पर्यावरण एंव वन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगें किः

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	सरदी के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के क्या कारण हैं ;	सरदी के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के निम्न कारण हैं: ● अक्टूबर और नवंबर के माहों में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल अवषेशों को जलाने के कारण प्रदूषकों की मात्रा मे वृद्वि होती है जो हवा के बहाव के समय दिल्ली में आते हैं जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। ● इस समय मौसम की प्रतिकूल स्थिति/परिवर्तन जैसे कि कम हवा की गति (low wind speed), कम मिश्रण ऊंचाई (low mixing height) इत्यादि भी हवा के प्रदूषित होने में योगदान देता है। ● इसके अलावा दिल्ली में वायु प्रदूषण के अन्य कारण इस प्रकार है: ➢ वाहनों का प्रदूषण ➢ सड़क और मिट्टी की धूल ➢ निर्माण व विध्वंस गतिविधियों के कारण उत्पन्न धूल ➢ सूखे पत्तों/कचरे आदि का जलना ➢ औद्योगिक इकाई
(ख)	सरकार द्वारा दिल्लीवासियों को प्रदूषण से बचाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण, और	सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं: ● दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी0पी0सी0सी0) ने दिल्ली में केवल अनुमोदित ईंधन का उपयोग करने के लिए 29/06/2018 को अधिसूचना जारी की है। ● औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों/यूनिट्स को प्रदूषणकारी ईंधन इस्तेमाल करने की जगह पाईप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ● 319 औद्योगिक इकाइयॉ जो पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के अलावा अन्य ईंधनों का उपयोग कर रही थीं, डी0 पी0 सी0 सी0 द्वारा बंद कर दिया गया है। डी0 पी0 सी0 सी0 के निरंतर प्रयासों के कारण, 1165 औद्योगिक इकाइयाँ जो पहले पीएनजी के अलावा अन्य ईंधन पर चल रही थीं, पीएनजी में परिवर्तित हो गई हैं और इन उद्योगों को गैस की आपूर्ति इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के सहयोग से पूरी की गई है। ● दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी0पी0सी0सी0) ने दिल्ली में निरंतर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को सुदृढ़ किया है। पुराने नेटवर्क के अंतर्गत डी0पी0सी0सी0 के इस तरह के केवल छह केन्द्र थे और इस वृद्धि से डीपीसीसी द्वारा संचालित केन्द्रों की कुल संख्या 26 हो गयी है। ● डी0 पी0 सी0 सी0 एवं Washington University, USA ने एक समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षर दिनॉक 17.12.2018
(ग)	प्रदूषण रोकने हेतू ऑड–ईवन के अतिरिक्त सरकार द्वारा कोई अन्य कदम उठाए गए हों तो उसका विवरण क्या है?	

जारी है...

		को किया है जिसके तहत दिल्ली में वायु की गुणवता जानने हेतू Real time Source Apportionment अध्ययन किया जा रहा है। यह समझौता 18 महीने (12 महीने का अध्ययन तथा छः महीने का मॉडल डवल्पमेंट) का है। इस समझौते के तहत दिसंबर, 2019 में प्रेजेंटेशन होगा और अध्ययन रिपोर्ट मार्च, 2020 तक आ जाएगी। इसके बाद छः महीने के भीतर मॉडल तैयार किया जाएगा । इस मॉडल से प्रत्येक दो घंटे का Real time Source Apportionment रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकेगा जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी । • नगर निगमों ने निर्माण एंव विध्वंस मलबे, कचरे और प्लास्टिक डंप की पहचान और साफ करने, गड्ढों को भरने, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और धूल भरे संस्थानों पर पानी का छिड़काव करने अपषिष्ट /कूड़ा–करकट जलाने रोकने हेतु जैसे अभियानों को अंजाम दिया है। • 13 चिन्हित संवेदनशील स्थलों (hotspots) जैसे की वजीरपुर, अशोक विहार, पंजाबी बाग, द्वारका, आर. के. पुरम जहांगीरपुरी, नरेला, मुंडका, आनंद विहार, विवके विहार और औखला में विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा वायु प्रदूषण रोकने हेतु तेजी से कार्यवाही की गई है, जिसमें शामिल है : मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और धूल भरे संस्थानों, खाली पड़े प्लाटों पर हरियाली बढ़ाना, पानी का छिड़काव करना, वातावरण में धूल कम करने के लिए सड़कों का रख रखाव, गड्ढ़ों को भरना, अतिक्रमण हटा कर संकरे रास्तों में सड़क चौड़ी करना इत्यादि। • ट्रैफिक पुलिस और नगर निगमों ने भीड़भाड़ वाले यातायात गलियारों में यातायात के प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए संयुक्त अभियान चलाते हुए अनधिकृत वाहनों तथा बिना लाइसेंस वाले vendors के द्वारा अतिक्रमण हटाया है। • 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पैट्रोल की गाड़िया चलाने पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर रोक का अनुपालन किया जा रहा है। • माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12. 2015 के आदेषों के अनुपालन में दिल्ली में प्रवेष करने वाले लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण मुआबजा शुल्क लगाया जा रहा है। • 3000 नई बसें cluster योजना के अंदर तथा नई 2000 DTC buses खरीदकर बसों की मात्रा बढ़ाई जा रही है। • परिवहन विभाग तथा यातायत पुलिस द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किया गया है।उन्हे जब्त तथा भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। • यातायत पुलिस, विशेषकर जाम लगने वाले स्थलों /सड़कों पर भीड़भाड़ कम करवा रही है। • उपरोक्त कार्यवाही के अलावा 08.11.2019 के बाद से विभिन्न एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई हैः ➢ सार्वजनिक स्थलों पर गैर कानूनी ढंग ये इकटठा किया गया 50334 मीट्रिक टन निर्माण और ध्वंस मलबा हटाया गया है। ➢ सार्वजनिक स्थलों से विवेकहीन लोगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से इकटठा किया गया 44399.4 मीट्रिक टन कूड़ा और प्लास्टिक कचरा हटाया गया है। ➢ पानी छिड़कने वाली मशीनों से 4646 किलोमीटर सड़को पर

जारी है...

		पानी छिड़का गया है ताकि धूल गर्द दब जाए और वातावरण में न जाने पाए। नगर निगम अधिकारियों ने कुछ स्थानों पर धूल जमने से रोकने के लिए रसायनों का इस्तेमाल किया गया है। ➢ यांत्रिक सफाई मशीनों से 5485 किलोमीटर सड़को की सफाई की गई है। ➢ पिछले कुछ दिनों के दौरान 225 किलोमीटर सड़के चौड़ी की गई हैं। ➢ लोक निर्माण विभाग ने हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए लगभग 18000 पौधे लगाए हैं। • उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनाँक 04.11.2019 के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है तत्पश्चात् दिनॉक 15.11.19 के अनुपालन हेतू वाहनों से केरोसिन मिलावट के नमूने एकत्र करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, परिवहन विभाग अैर यातायात पुलिस के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई गई। उच्चतम न्यायालय दिनाँक 25.11.2019 के आदेशों का भी अनुपालन किया जा रहा है । • प्रदूषण नहीं फैलाने वाले ई–वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के ई–वाहनों जैसे दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और ई–रिक्शा आदि को अपनाने वालों के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है हाल में खरीदे गये बैटरी चालित चौपहिया और दुपहिया वाहनों के मालिकों को दिल्ली सरकार दुपहिया वाहनों के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त 2,000 रुपये से 5,500 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी अपनी ओर से देती है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत और परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत बैटरी चालित ई–रिक्शा के मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। • वायु प्रदूषण रोकने हेतु समबद्ध कार्य योजना (Action Plan) बनाया गया है, जिसका प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित हाई लेवल टास्क फोर्स **(HLTF)** भी समय–समय पर समीक्षा कर रहा है। • EPCA द्वारा समय समय पर Graded Response Action Plan के अर्न्तगत दिये गये निर्देश लागू किए जा रहे है। EPCA के निर्देशानुसार दिल्ली में डीज़ल जनरेटर सैट चलाना दिनाँक 15.03.2020 तक या आगामी निर्देश जारी होने तक बंद रहेंगे । • सरकार की सभी एजेंसियां समीर ऐप पर अपलोड की गई शिकायतों को पूरी तरह समाप्त करने में जुटी हैं और जल्द ही इन्हें दूर कर दिया जाएगा। • दिल्ली पार्क एण्ड गार्डन सोसाइटी द्वारा पौधों का लगाने व पार्क के रख –रखाव हेतु प्रोत्साहन देने हेतु वित्तिय सहायता बढ़ा कर रूपये 2 लाख प्रति एकड़ मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत लागू किया गया है। साथ ही विकेन्द्रित एस0 टी0 पी0 लगाने की योजना में एक मुफ्त वित्तीय सहायता राशि रूपये 2 लाख प्रति एकड़ की दर से प्रदान की जाती हैं। • दिल्ली सरकार के नेतृत्व मे वन विभाग 20 एजेंसियों के साथ मिलकर प्रत्येक वर्ष 10 लाख से ज्यादा पौधें लगाये जाते है। पिछले तीन वर्षो से अब तक वन विभाग तथा अन्य सभी ग्रीनिंग एजेंसियों द्वारा लगाए गए पौधों/वृक्षों/झाडियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:–

जारी है...

		वित वर्ष 2015–2016. 16,51,448 वित वर्ष 2016–2017 24,75,665 वित वर्ष 2017–2018 19,62,598 वित वर्ष 2018–2019 28,95,816 वित वर्ष 2019–2020 24,44,234 (30.10.2019 तक) • अखवारों में विज्ञापनों, जागरूकता सम्मेलनों, कार्यक्रमों इत्यादि द्वारा प्रदूषण को रोकने हेतु लोगों को जागरूक किया गया है। इन योजनाओं का समयबद्व तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है।

जारी है...